न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (डीडवाना–कुचामन)

पीठासीन अधिकारी : श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादीः–

सुजाराम पुत्र पोकरराम जाति रेगर निवासी ग्राम मीठड़ी तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. ओमप्रकाश पुत्र दल्लाराम जाति रैगर निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
2. ओमप्रकाश पुत्र माँगीलाल जाति–रैगर निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
3. किस्तुरमल पुत्र धुडाराम जाति–रैगर निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
4. पप्पुराम पुत्र दल्लाराम जाति–रैगर निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
5. पांचीदेवी पत्नि किस्तुरराम जाति–रैगर निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
6. फुसाराम पुत्र सुखदेव जाति–रैगर निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
7. मदनलाल पुत्र बन्नाराम जाति–मेघवाल निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
8. रतनीदेवी पत्नि राधेश्याम जाति–रैगर निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
9. राजादेवी पत्नि गोपाललाल जाति–रैगर निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
10. रामनिवास पुत्र पोकराम जाति–रैगर निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
11. शंकरलाल पुत्र धुडाराम जाति–रैगर निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
12. शंकरलाल पुत्र पुराराम जाति–रैगर निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
13. शांतिदेवी पत्नि दल्लाराम जाति–रैगर निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
14. सुमित्रा कासोटिया पत्नि सुनिलकुमार जाति–रैगर निवासी अम्बेडकर कॉलोनी कुचामनसिटी।
15. सीतादेवी पुत्री पुराराम जाति–रैगर निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
16. सीताराम पुत्र शंकरलाल जाति–रैगर निवासी–कुचामनसिटी
17. हनुमान प्रसाद पुत्र सुखदेव जाति–रैगर निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
18. हनुमान पुत्र सुखदेव जाति–रैगर निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
19. सोनकी पत्नि रामेश्वर जाति–रैगर निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
20. गोपाल पुत्र रामेश्वर जाति–रैगर निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
21. अमरचन्द पुत्र रामेश्वर जाति–रैगर निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
22. राज. सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार नावा भूमिधारी।
23. मोतीराम पुत्र देवाराम जाति मेघवाल निवासी लादड़िया तहसील डीडवाना।
    23/1 नारायणराम पुत्र मोतीराम जाति मेघवाल
24. पुसाराम पुत्र पोखरराम जाति रेगर निवासी मीठड़ी।

<u>दावा वास्ते इस्तकरार हक, भू–विभाजन</u>

<u>अन्तर्गत धारा 88,53 आर.टी.एक्ट</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 14:12:14 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :– श्री अमरचन्द पंवार अधिवक्ता वादी
श्री मोहन सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 11
श्री गोपाल सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 24

मुकदमा नम्बरः 95/2020 निर्णय दिनांकः– 20.02.2024

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि मौजा ग्राम मीठड़ी पटवार हल्का मीठड़ी तहसील नावां के खसरा नम्बर 1780/59 रकबा 0.9982 हैक्टर, खसरा नम्बर 1781/59 रकबा 0.2000 हैक्टर, खसरा नम्बर 1784/58 रकबा 0.077 हैक्टर, खसरा नम्बर 492 रकबा 0.92 हैक्टर, खसरा नम्बर 493 रकबा 0.41 हैक्टर कुल रकबा 2. 6052 हैक्टर भूमि स्थित है। खातेदार केशरदेवी पत्नि पोकरराम, चुनकी देवी पत्नि सुखदेव व रामेश्वरलाल पुत्र सुखदेव का स्वर्गवास हो चुका हैं जिनके वारिसान को वाद मे पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 6 व 10 एक ही खानदान के सदस्य है जो कि स्व० पोकरराम जी के वंशज व वारिसान है जिनका सजरा खानदान वाद पत्र में पेश किया। उपरोक्त खसरा आराजीयान भूमि मे से वादी की 181/13026 हिस्से की भूमि आई हुई है तथा वादी की माता केशरदेवी का भी उपरोक्त खसरा आराजीयान भूमि में से 181/13026 हिस्सा आया हुआ है। दादी की माता केशरदेवी पत्नि पोकरराम का आज से करीबन 15 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो चुका है। केशरदेवी के खातेदारी अधिकारो की 181/13026 हिस्से की भूमि में से 1/3 हिस्से की भूमि भी वादी की पैतृक व कब्जे काश्त की भूमि है इस प्रकार वादी खातेदारी अधिकारो की भूमि 181/13026 हिस्सा की भूमि अर्थात 0.0362 हैक्टर व वादी की माता केशरदेवी के हक हिस्से में आई 181/13026 हिस्से की भूमि में से 1/3 हिस्से की भूमि अर्थात् 0.0120 हैक्टर कुल 0.0482 हैक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। जिस पर वादी अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर निरन्तर एवं निर्बाध रूप से काश्त करता चला आ रहा है। उपरोक्त खसरा आराजीयान भूमि का वादी व प्रतिवादीगण ने मौके पर आज से करीबन 20–25 वर्ष पूर्व ही भौतिक बंटवारा कर लिया था तथा भौतिक बंटवारे अनुसार ही अपने अपने हक व हिस्से में आई भूमि पर सीव डोल लगाकर सीमा कायम कर काश्त करते चले आ रहे है तथा वादी ने अपने हक व हिस्से मे आई 0.0482 हैक्टर भूमि को निरन्तर एवं निर्बाध रूप काश्त कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता चला आ रहा है। उपरोक्त खसरा आराजीयान भूमि मे से वादी के हक हिस्से की 0.0482 हैक्टर भूमि जो नजरी नक्शे मे दर्शित मार्क ऐ०बी०सी०डी० स्थान के मध्य स्थित चली आ रही है। जो खसरा नम्बर 492 की पश्चिमी दिशा की तरफ स्थित चली आ रही है। जो वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी अधिकारो की चली आरही है। नजरी नक्शा अलग से बनाकर पेश किया है। जो वाद पत्र का अभिन्न अंग है। उपरोक्त खसरा आराजीयान भूमि का भौतिक बंटवारे अनुसार भु–विभाजन करने का कहने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 21 व हल्का पटवारी ने उपरोक्त अनुसार बंटवारा करने पर यह वाद पत्र पेश किया है। [illegible] व नजरी नक्शा के अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। [illegible] भूमि का भौतिक बंटवारे अनुसार व कब्जे काश्त अनुसार व नजरी [illegible] दर्शित मा[illegible]बी०सी०डी० के मध्य की भूमि मे बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा [illegible] व इस्तकरार हक की डिक्री पाने का पूर्ण कानुनी मुश्तहक है। मौजा ग्राम मीठड़ी पटवार हल्का मीठड़ी तहसील नावां के खसरा नम्बर 1780/59 रकबा 0.9982 हैक्टर, खसरा नम्बर 1781/59 रकबा 0.2000 हैक्टर,

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:12:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

खसरा नम्बर 1784/58 रकबा 0.077 हैक्टर, खसरा नम्बर 492 रकबा 0.92 हैक्टर, खसरा नम्बर 493 रकबा 0.41 हैक्टर कुल रकबा 2.6052 हैक्टर भूमि मे से वादी के खातेदारी अधिकारो की 181/13026 हिस्से की भूमि अर्थात 0.0362 हैक्टर व वादी की माता केशरदेवी के हक हिस्से में आई 181/13026 हिस्से की भूमि में से 1/3 हिस्से की भूमि अर्थात् 0.0120 हैक्टर कुल 0.0482 हैक्टर भूमि जो नजरी नक्शे में दर्शित मार्क ऐ०बी०सी०डी० स्थान के मध्य स्थित चली आ रही है। जो खसरा नम्बर 492 की पश्चिमी दिशा की तरफ स्थित चली आ रही है। जो वादी कब्जे काश्त व खातेदारी अधिकारो की चली आरही है। उक्त अपने खातेदारी अधिकारो की भूमि पर वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर कब्जे काश्त व नजरी नक्शे अनुसार भु–विभाजन किया जावे। इस आशय की खातेदारी अधिकारो की घोषणा की डिक्री व भु–विभाजन की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण फरमाने की इस्तदुआ की।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहन सिंह ने जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम मीठड़ी पटवार हल्का मीठड़ी तहसील नावां की सरहद में स्थित खसरा संख्या 1780/59 रकबा 0.9982 हैक्टर, खसरा संख्या 1781/59 रकबा 0.2000 हैक्टर, खसरा संख्या 1784/58 रकबा 0.0770 हैक्टर, खसरा संख्या 492 रकबा 0.9200 हैक्टर, खसरा संख्या 493 रकबा 0.4100 हैक्टर कुल खसरे 5 कुल रकबा 2.6052 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी शंकरलाल पुत्र घुड़ाराम के खातेदारी अधिकारों की 800/6513 हिस्से की 0.3200 हैक्टर भूमि आयी हुई है, भूमि नजरी नक्शे में दर्शित मार्क A,B,C,D के मध्य स्थित है, उक्त आराजी भूमि प्रतिवादी की खरीदशुदा भूमि है, जिस पर प्रतिवादी द्वारा आज दिन सीव माठ नाप–चौक कर खरीद के दिन से ही काबिज चला आ रहा है, प्रार्थी का कब्जा व काश्त खसरा नम्बर 492 में स्थित है। जिसके पूर्व दिशा में– खसरा संख्या 492 की शेष भूमि व पश्चिम दिशा में खसरा संख्या 492 की शेष भूमि उत्तर दिशा में मीठड़ी बाईपास रोड़ व दक्षिण दिशा में– नावां–कुचामन हाईवे रोड़ व उक्त आराजी भूमि प्रतिवादी शंकरलाल के कब्जे काश्त व खातेदारी अधिकारों की चली आ रही है। उक्त आराजी खातेदारी अधिकारों की भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी के कब्जे व काश्त की आराजी भूमि नजरी नक्शे के अनुसार भू–विभाजन किया जावें, इस आशय के भू–विभाजन की डिक्री बहक प्रतिवादी शंकरलाल पुत्र घुड़ाराम विरुद्ध वादी एवं शेष प्रतिवादीगण फरमाने की निवेदन किया।

प्रार्थी मोतीराम पुत्र देवाराम जाति मेघवाल की ओर से अधिवक्ता श्री मोहनसिंह ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया [illegible] उभयपक्षकारान की सुनवाई के बाद स्वीकार किया जाकर प्रार्थी मोतीराम को [illegible] प्रतिवादी संयोजित कर लाल स्याही से अंकन किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादी 23 की [illegible] से आदेश 7 नियम 11 सीपीसी व 151 सीपीसी पेश किया जिसका अधिवक्ता वादी ने जवाब पेश करने के पश्चात उभयपक्षकारान की बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी व 151 सीपीसी को अस्वीकार किया जाकर खारिज किया गया। प्रतिवादी संख्या 17 ता 21 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:12:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

ओर से अधिवक्ता श्री ब्रजपाल सिंह ने यूटी दी। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 7, 8, 13, 16, 22 के तामील शुदा सम्मन प्राप्त होने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 19, 20 की ओर से अधिवक्ता श्री ब्रजपाल सिंह ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 23 की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल सिंह ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 12, 14, 15 के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाये जाने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 3, 5, 6, 9, 10 के सम्मन अखबार दैनिक नवज्योति दिनंक 24 अक्टूबर 2023 में प्रकाशित करवाने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी नारायणराम पुत्र मोतीराम जाति मेघवाल निवासी लादडिया तहसील डीडवाना की ओर से अधिवक्ता श्री मो. हनीफ ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश किया जिसपर अधिवक्ता वादी द्वारा नो ऑब्जेक्शन करने पर स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 23 का वारिसान प्रार्थी नारायणराम को रिकॉर्ड पर लिया गया।

प्रतिवादी संख्या 23/1 की ओर से अधिवक्ता श्री मो. हनीफ ने जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वाद में प्रतिवादी मोतीराम की दिनांक 19/11/2023 को मृत्यू हो चुकी है श्री मोतीराम ने अपने जीवनकाल में रजिस्टर्ड वसीयत के जरिये वाद में प्रश्नगत कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार व कब्जा उत्तरकर्ता नारायणराम पुत्र मोतीराम जाति मेघवाल उम्र 43 वर्ष निवासी लादडिया तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन को दी गयी हैं। मौजा ग्राम मीठडी पटवार मण्डल मीठडी तहसील नावां जिला डीडवाना–कुचामन सिटी के मोजुदा खसरा नम्बर 1780/59 रकबा 0.9982 हैक्टर, खसरा नम्बर 1781/59 रकबा 0.2000 हैक्टर, खसरा नम्बर 1784/58 रकबा 0.0770 हैक्टर, खसरा नम्बर 492 रकबा 0.9200 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 493 रकबा 0.41 हैक्टर कुल रकबा 2.6052 हैक्टर कृषि भूमि आई हुई है। उपरोक्त खसरान में से खातेदार मदनलाल से पूर्व में दिनांक 23/02/2018 को पुस्तक संख्या जिल्द संख्या 305 में पृष्ठ संख्या 129 क्रम संख्या 201803100632 पर रजिस्टर्ड बैचान विलेख खातेदारी से जरिये 725/4342 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 23 मोतीराम ने खरीद की थी और वसीयत के आधार पर नारायणराम पुत्र मोतीराम मेघवाल निवासी लादडिया उक्त आराजी पर काबिज चला आ रहा है। प्रतिवादी मोतीराम के हक हिस्से के पूर्ववर्ती विक्रेता खातेदार मदनलाल ने धापुदेवी राजू, सुगनी देवी पत्नि मालाराम, रघुनाथ राधेश्याम विसरान मालाराम रेगर से दिनांक 23/02/2018 को जब खरीद की थी जिसके बेचान नामान्तकरण संख्या 1800 दिनांक 24/08/2018 पर दर्ज है एवं छीतराम पुत्र राजू रेगर से खातेदारी अधिकार खरीद की थी जिसके नामान्तकरण संख्या 1601 दिनांक 24/08/2016 पर दर्ज है। प्रतिवादी मोतीराम के खातेदारी ग्राम मीठडी के खसरा नंबर 1780/59 रकबा 0.9982 हैक्टर में पूरब दिशा की सीव की तरफ कुल 725/4342 वे हिस्से पर [illegible] पर काबिज काश्त है। जो संलग्न नक्शे में मार्क ए बी सी डी के मध्य दर्शित है। [illegible] कृषि आराजी के अन्य सह खातेदार संयुक्त खाता में होने कारण प्रतिवादी [illegible] हिस्से की कृषि भूमि के विकास कार्यों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इसलिए सह खातेदारों से पृथक होकर खाता विभाजन करवाकर रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 23 का हिस्सा अन्य सह खातेदारों

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:12:14 IST
Reason: SelfAttested

से पृथक करवाकर पृथक खाता व खसरा जमांबदी व राजस्व नक्शे में तरमीम करवाने का मुस्तहक हैं। वादी द्वारा बिना प्रतिवादी संख्या 23 को पक्षकार संयोजित 7 किये ही बाले बाले विभाजन करवाकर प्रतिवादी के हितो पर कुठराधात करने की जानकारी होने पर प्रतिवादी संख्या 23 ने तुरन्त न्यायालय हाजा के समक्ष पक्षकार के तोर पर संयोजित होने वास्ते न्यायालय हाजा के समक्ष आवेदन पेश कर दिया है। मौजा ग्राम मीठडी पटवार मण्डल मीठडी तहसील नावां जिला डीडवाना–कुचामन सिटी के मोजुदा खसरा नंबर खसरा नंबर 1780/59 रकबा 0.9982 हैक्टर, खसरा नंबर 1781/59 रकबा 0.2000 हैक्टर, खसरा नंबर 1784/58 रकबा 0.0770 हैक्टर, खसरा नंबर 492 रकबा 0.9200 हैक्टर तथा खसरा नंबर 493 रकबा 0.41 हैक्टर, कुल रकबा 2.6052 हैक्टर कृषि भूमि का प्रतिवादी संख्या 23 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 23 का हिस्सा ग्राम मीठडी के खसरा नंबर 1780/59 रकबा 0.9962 के पूरब दिशा में संलग्न नक्शे में वर्णित मार्क ए बी सी डी के मध्य भूमि में पर कब्ज़ा काश्त घोषित फरमाकर उक्तानुसार भू विभाजन की प्राथमिक डिक्री बहक प्रतिवादी संख्या 23 विरुद्ध वादी प्रतिवादी संख्या 1 से 22 फरमाई जावे तथा उपरोक्त वर्णित अनुतोष अनुसार वाद में प्रश्नगत कृषि भूमि में से खसरा नंबर 1780/59 में प्रतिवादी संख्या 23 के 725/4342 वे हिस्से की कृषि भूमि के सम्बन्ध में अन्य सहखातेदारो से पृथक हिस्सा वास्ते तहसीलदार से कुर्रजात रिपोर्ट तलब फरमाकर अन्तिम रूप से बंटवारे की डिक्री फरमाई जावे तथा माफिक विभाजन राजस्व अभिलेख में तरमीम कर प्रतिवादी संख्या 23 के हक हिस्से का इन्द्राज अधिकार अभिलेख व राजस्व नक्शा में तरमीम करने के आदेश फरमावे तथा प्रतिवादीगण एव वादी को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद फरमाया जावे कि प्रतिवादी संख्या 23 को बंटवारे में प्राप्त हक में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं कर इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री फरमाई जावें। साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू.1 वादी सुजाराम, पी.डब्ल्यू.2 लक्षमणसिंह, पी.डब्ल्यू.3 दीपक के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किये। ओर साक्ष्य वादी पेश नहीं करना चाहने एवं जिरह नहीं करना चाहने पर साक्ष्य वादी बंद की गई। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में चालू जमाबंदी की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श पी1 है। साक्ष्य प्रतिवादी में डी.डब्ल्यू.1 प्रतिवादी नारायणराम, डी.डब्ल्यू.2 महावीर के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किये। ओर साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं करना चाहने एवं जिरह नहीं करना चाहने पर साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई। प्रतिवादी संख्या 23/1 ने अपने काउंटर क्लेम के समर्थन में बैचाननामा दिनांक 23. 02.2018 असल प्रदर्श डी1 व फोटोप्रति प्रदर्श डीए1 तथा वसीयतनामा असल प्रदर्श डी2 व फोटोप्रति प्रदर्श डीए2 प्रदर्शित करवाये। प्रार्थी पुसाराम पुत्र पोखरराम जाति रेगर निवासी मीठडी की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल सिंह राठौड़ ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया जिसको उभयपक्षकारान की सहमति से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी पुसाराम को पक्षकारा प्रतिवादी संयोजित किया गया। प्रतिवादी संख्या 24 पुसाराम की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल सिंह राठौड़ ने इकबाली जवाब पेश कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम मीठड़ी के खसरा नंबर 1780/59 रकबा 0.9982 हैक्टर, खसरा नंबर 1781/59 रकबा 0.2000 हैक्टर, खसरा नंबर 1784/58 रकबा 0.0770 हैक्टर, खसरा नंबर 492 रकबा 0.

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:12:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

9200 हैक्टर तथा खसरा नंबर 493 रकबा 0.41 हैक्टर कुल रकबा 2.6052 हैक्टर भूमि में से वादी के खातेदारी अधिकारों की 181/13026 हिस्से की भूमि अर्थात् 0.0362 हैक्टर वादी व उत्तरदाता की माता केशरीदेवी के हक हिस्से में आई 181/13026 हिस्से की भूमि में से 1/3 हिस्से की भूमि अर्थात् 0.0120 हैक्टर का उत्तरदाता को जरिये काउंटर क्लेम खातेदार घोषित फरमाया जावें इस आशय की खातेदारी अधिकारों की घोषणा की डिक्री उत्तरदाता के पक्ष जरिये काउंटर क्लेम फरमाई जावें। वादी का वाद इस्तदुआ माफिक डिक्री किया जाता है तो हम उत्तरदाता को कोई आपत्ति नहीं है तथा इसमें हमारी पूर्ण सहमति है। उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। उभयपक्षकारान तहसीलदार नावां से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाने हेतु सहमत होने पर प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार नावां ने बंटवारा प्रस्ताव पेश किया।

उभयपक्षकारान की अंतिम बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। उक्त पत्रावली के साथ अन्य पत्रावली बअनुवान मोतीराम बनाम ओमप्रकाश वगैरह मुकदमा नम्बर 94/2022 को नत्थी किया गया हैं। इस प्रकार दोनो पत्रावली का निर्णय एक साथ किया जा रहा है।

उपरोक्त विवेचनानुसार मौजा ग्राम मीठड़ी पटवार हल्का मीठड़ी तहसील नावां के खसरा नम्बर 1780/59 रकबा 0.9982 हैक्टर, खसरा नम्बर 1781/59 रकबा 0.2000 हैक्टर, खसरा नम्बर 1784/58 रकबा 0.077 हैक्टर, खसरा नम्बर 492 रकबा 0.92 हैक्टर, खसरा नम्बर 493 रकबा 0.41 हैक्टर कुल रकबा 2.6052 हैक्टर भूमि में दर्ज खातेदार केशरदेवी पत्नि पोकरराम की फौत हो चुकी है एवं उनके वारिसान वादी के वाद पत्र अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 10 रामनिवास पुत्र पोखरराम, प्रतिवादी संख्या 24 पुसाराम पुत्र पोखरराम को बताया है इस प्रकार खातेदार केशरदेवी पत्नि पोकरराम के हिस्से में दर्ज 181/13026 हिस्सा की भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 10, 24 को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित करवाना चाहते है। उक्त भूमि में खातेदार मदनलाल पुत्र बन्नाराम जाति मेघवाल निवासी भिचावा मकराना ने अपने खातेदारी में दर्ज 725/4342 हिस्सा सम्पूर्ण प्रतिवादी संख्या 23 मोतीराम को जरिये पंजीकृत बैचाननामा बैचान कर दी जो प्रदर्श डी1 से साबित है तथा प्रतिवादी संख्या 23 मोतीराम का दौराने वाद पत्र निधन हो चुका है एवं प्रतिवादी संख्या 23 मोतीराम ने अपने हिस्से उक्त सम्पूर्ण भूमि जरिये पंजीकृत वसीयतनामा अपने पुत्र प्रतिवादी संख्या 23/1 नारायणराम के नाम वसीयत कर दी जो प्रदर्श डी2 से साबित है। इस प्रकार खातेदार केशरदेवी पत्नि पोकरराम के हिस्से में दर्ज 181/13026 हिस्सा की भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 10, 24 को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है तथा उक्त भूमि में खातेदार मदनलाल पुत्र बन्नाराम जाति मेघवाल ... की दर्ज भूमि 725/4342 हिस्सा की भूमि का प्रतिवादी संख्या 23/1 नारायणराम को खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए वादी एवं प्रतिवादी संख्या 11, 23/1 की भूमि का तहसीलदार नावां द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार भू–विभाजन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 14:12:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र एवं प्रतिवादी संख्या 11, 23/1, 24 का काउंटर क्लेम स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि मौजा ग्राम मीठड़ी पटवार हल्का मीठड़ी तहसील नावां के खसरा नम्बर 1780/59 रकबा 0.9982 हैक्टर, खसरा नम्बर 1781/59 रकबा 0.2000 हैक्टर, खसरा नम्बर 1784/58 रकबा 0.077 हैक्टर, खसरा नम्बर 492 रकबा 0.92 हैक्टर, खसरा नम्बर 493 रकबा 0.41 हैक्टर कुल रकबा 2.6052 हैक्टर भूमि में खातेदार मदनलाल पुत्र बन्नाराम जाति मेघवाल के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 23/1 नारायणराम को खोतदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमि में दर्ज खातेदार केशरदेवी पत्नि पोकरराम के हिस्से में दर्ज 181/13026 हिस्सा की भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 10 रामनिवास, प्रतिवादी संख्या 24 पुसाराम को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमियों का वादी सुजाराम, प्रतिवादी संख्या 11 शंकरलाल पुत्र धुडाराम, प्रतिवादी संख्या 23/1 नारायणराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर भू–विभजान किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अंकन करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। नियमानुसार बंटवारा स्टाम्प ड्यूटी पेश करने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 20.02.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:12:14 IST
Reason: SelfAttested

अदालतः— उपखण्ड अधिकारी नावां, जिला डीडवाना—कुचामन, राज.

अज अदालत :— श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादीः—

सुजाराम पुत्र पोकरराम जाति रेगर निवासी ग्राम मीठड़ी तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादीगणः—

1. ओमप्रकाश पुत्र दल्लाराम जाति रैगर निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
2. ओमप्रकाश पुत्र माँगीलाल जाति—रैगर निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
3. किस्तुरमल पुत्र धुडाराम जाति—रैगर निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
4. पप्पुराम पुत्र दल्लाराम जाति—रैगर निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
5. पांचीदेवी पत्नि किस्तुरराम जाति—रैगर निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
6. फुसाराम पुत्र सुखदेव जाति—रैगर निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
7. मदनलाल पुत्र बन्नाराम जाति—मेघवाल निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
8. रतनीदेवी पत्नि राधेश्याम जाति—रैगर निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
9. राजादेवी पत्नि गोपाललाल जाति—रैगर निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
10. रामनिवास पुत्र पोकराम जाति—रैगर निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
11. शंकरलाल पुत्र धुडाराम जाति—रैगर निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
12. शंकरलाल पुत्र पुराराम जाति—रैगर निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
13. शांतिदेवी पत्नि दल्लाराम जाति—रैगर निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
14. सुमित्रा कासोटिया पत्नि सुनिलकुमार जाति—रैगर निवासी अम्बेडकर कॉलोनी कुचामनसिटी।
15. सीतादेवी पुत्री पुराराम जाति—रैगर निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
16. सीताराम पुत्र शंकरलाल जाति—रैगर निवासी—कुचामनसिटी
17. हनुमान प्रसाद पुत्र सुखदेव जाति—रैगर निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
18. हनुमान पुत्र सुखदेव जाति—रैगर निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
19. सोनकी पत्नि रामेश्वर जाति—रैगर निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
20. गोपाल पुत्र रामेश्वर जाति—रैगर निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
21. अमरचन्द पुत्र रामेश्वर जाति—रैगर निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
22. राज. सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार नावा भूमिधारी।
23. मोतीराम पुत्र देवाराम जाति मेघवाल निवासी लादड़िया तहसील डीडवाना।
    23/1 नारायणराम पुत्र मोतीराम जाति मेघवाल
24. पुसाराम पुत्र पोखरराम जाति रेगर निवासी मीठड़ी।

मुकदमां नम्बर :— 95/2020   निर्णय दिनांक :— 20.02.2024

इनफिसाल कतई रूबरू.....बहाजरी श्री अमरचन्द पंवार अधिवक्ता वादी, श्री मोहन सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 11, श्री गोपाल सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 24 को डिक्री दी जाती हैं किः—

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:12:14 IST
Reason: SelfAttested

वादी का वाद पत्र एवं प्रतिवादी संख्या ... का काउंटर क्लेम स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि मौजा ... मीठड़ी पटवार हल्का मीठड़ी तहसील नावां के खसरा नम्बर 1780/59 रकबा 0.9982 हैक्टर, खसरा नम्बर 1781/59 रकबा 0.2000 हैक्टर, खसरा नम्बर 1784/58 रकबा 0.077 हैक्टर, खसरा नम्बर 492 रकबा 0.92 हैक्टर, खसरा नम्बर 493 रकबा 0.41 हैक्टर कुल रकबा 2.6052 हैक्टर भूमि में खातेदार मदनलाल पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

बन्नाराम जाति मेघवाल के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 23/1 नारायणराम को खोतदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमि में दर्ज खातेदार केशरदेवी पत्नि पोकरराम के हिस्से में दर्ज 181/13026 हिस्सा की भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 10 रामनिवास, प्रतिवादी संख्या 24 पुसाराम को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमियों का वादी सुजाराम, प्रतिवादी संख्या 11 शंकरलाल पुत्र धुडाराम, प्रतिवादी संख्या 23/1 नारायणराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर भू–विभजान किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अंकन करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहरीर जारी हो।

बसबब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21.02.2024 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखतः

ओहदा : उपखण्ड अधिकारी, नावां

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL	स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL
मीलान	NIL	NIL	मीजान	NIL	NIL

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:12:14 IST
Reason: SelfAttested